न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 116/2011–12

लाल मोहन चौधरी वनाम राज्य

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी लाल मोहन चौधरी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, वार्ड नं0–26 शहरी क्षेत्र, सहरसा की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने संबंधी अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक– 1397 गो0 दिनांक– 05.11.2011 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली दूकान की आपूर्ति निरीक्षक, शहरी क्षेत्र, सहरसा द्वारा दिनांक– 26.03.2011 को की गयी। जॉच में अनियमितता पाये जाने का आरोप है।

अपीलार्थी का कहना है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के बाद वर्ष 1998 से अपीलार्थी आवंटित सामाग्रियों यथा खाद्यान्न तथा किरासन तेल का नियमित उठाव कर निर्धारित मात्रा में नियत मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते रहे हैं तथा कभी भी किसी लाभार्थी ने अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की। अचानक अपीलार्थी से अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, सहरसा के ज्ञापांक 476–2 दिनांक– 15.10.2011 द्वारा आपूर्ति निरीक्षक द्वारा लगाये गये आरोपों पर कारण–पृच्छा की मांग की गयी। अपीलार्थी की पत्नी सख्त बीमार हो गयी थी। अपीलार्थी अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के समक्ष उपस्थित होकर कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु समय की मांग करते हुए एक आवेदन दिया जिस पर विचार किये बिना अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर सहरसा के ज्ञापांक 1397 दिनांक– 05.11.2011 द्वारा रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने संबंधी आदेश दिनांक– 18.11.2011 को अपीलार्थी पर तामिल करवाया गया । इस बीच अपीलार्थी स्वयं बीमार हो गये। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि कारण–पृच्छा सर्मपर्ण का अवसर दिये बिना तथा उन्हें सुने बिना एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है जो न्यायसंगत नहीं हे। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पींकींग आर्डर नहीं बल्कि रूटिन कार्य की तरह है। अपीलार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धार–3 में निहित प्रावधान या अनुज्ञप्ति के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया हे। अपीलार्थी की दूकान अनुज्ञप्ति में निहित स्थान पर चलता हैं तथा सूचना पट्ट लगा हुआ था, जिस पर भंडार की स्थिति शून्य दर्शाया गया था। अपीलार्थी स्वयं इतना पढ़ा–लिखा नहीं होने के कारण पंजियों के संधारण हेतु एक मुन्सी को रखा है जो जॉच के समय उपस्थित नहीं था। यहीं कारण हैं कि पंजी जमा करने हेतु कुछ समय की मांग की गयी थी जो नहीं दिया गया और एकपक्षीय आदेश

पारित कर अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है। अन्ततः अपीलार्थी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने संबंधी पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1397 गो0 दिनांक– 05.11.2011 का अवलोकन किया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर ने अपने आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया कि किन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण असंतोषप्रद है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर सहरसा ने Reasoned Order (तर्क आदेश) पारित नहीं किया है। अतः अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपील आवेदन स्वीकार किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

17.10.14

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1910-2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– अक्टूबर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.10.14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

ज्ञापांक 1910-2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– अक्टूबर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं सहरसा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

17.10.14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

फोटो – 1 प्रति